

26-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव।

फरियादी मोहरश्री स्वयं उपस्थित।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

उभयपक्षों की ओर से प्रकरण निरंतर लोक अदालत में रखे जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण लोक अदालत में रखा गया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 मय लोक अदालत डॉकेट फरियादी के अंगूठा निशानी युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एस0एस0 तोमर एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)